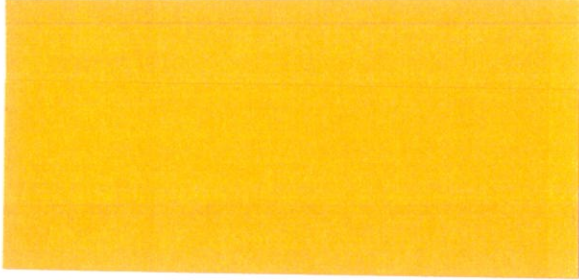


केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

No.3/1/2018/Admin./CIC/ST/01488/2

Dated: 16.01.2018



विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में 18.12.2017 को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रकित हैं:-

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No.3/2/2017/Admin./CIC/ST/01488/2 दिनांक 18.12.2017 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके साथ संलग्न है।

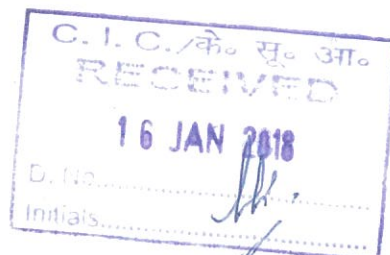
उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।

सविता 16/1/2018
(सविता तलूजा)

अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL

01/2
Aem
16/01/18



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनार्थ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं.CICOM/R/2017/01488/सं.स.(प्र०)

दिनांक. 16.01.2018

सेवा में,

श्रीमती सविता तलुजा,
अनुभाग अधिकारी (प्र०) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री संजय शर्मा के आर.टी.आई.
आवेदन सं. CICOM/R/2017/01488 से संबंधित सूचना ।

संदर्भ :- पत्र सं. 3/2/2017/Admn./CIC/ST/01488/2 दिनांक 26.12.2017

महोदया,

उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में श्री संजय शर्मा के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/2017/01488 से
संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं. 3 (ए)	केन्द्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सेमिनार 2017 में आने के लिए लगभग 2442 आवेदन प्राप्त हुए ।
बिंदु सं. 3 (बी)	वार्षिक सेमिनार 2017 में बुलाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों की सूची संलग्न है ।
बिंदु सं. 3 (सी)	सेमिनार स्थल की क्षमता के अनुसार बुलाए जाने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जाती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।

शक्ति मिश्र
(एस.पी.बेक)
16.01.18

संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं
नोडल अधिकारी, आर.टी.आई.